छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2014

(श्रावण-1, शक संवत 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 57 तारांकित एवं 70 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 08 एवं 11 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पृच्छा

प्रश्नकाल की समाप्ति के पश्चात् श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने आसंदी से मांग की कि आसंदी का सम्मान सुरक्षित रखे जाने हेतु श्री भूपेश बघेल, सदस्य के द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2014 को आसंदी के प्रति असंसदीय टिप्पणी के लिए माननीय सदस्य आसंदी से खेद व्यक्त करें, यदि वे खेद व्यक्त नहीं करते तो उन्हें प्रताड़ित किया जाय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री एवं श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने भी श्री भूपेश बघेल, सदस्य को खेद व्यक्त करने एवं प्रताड़ित किये जाने हेतु आसंदी से आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने इस संबंध में व्यवस्था दी कि -

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

सदन को यह स्मरण होगा कि दिनांक 22 जुलाई, 2014 को प्रश्नकाल के पश्चात माननीय कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं भारतीय जनता पार्टी के एकाधिक सदस्यों ने मेरा ध्यान माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल द्वारा सभा में दिनांक 21 जुलाई, 2014 को आसंदी के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी की ओर आकर्षित करते हुए यह अनुरोध किया था कि माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, यदि इसे वे वापस लेते हैं तो वह सदन के गरिमा के अनुरूप होगा और इस सदन के सम्मान को बढ़ाने के लिए उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री अजय चन्द्राकर जी ने भी माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल के कथन पर **'हम विधानसभा के अध्यक्ष पर अविश्वास करते हैं तथा कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते।'** की ओर आकर्षित कर इस विषय पर व्यवस्था देने का आग्रह किया। मैंने तत्समय यह कहा था कि मैं कार्यवाही को देखकर व्यवस्था दूँगा।

मैंने दिनांक 21 जुलाई, 2014 की कार्यवाही को गम्भीरता से देखा। दिनांक 21 जुलाई, 2014 को प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने आसंदी का ध्यान छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 145(1) के तहत विधान सभा सचिवालय में सूचना दिए जाने की ओर आकर्षित करते हुए सूचना पर व्यवस्था देने का अनुरोध किया था तथा इस पर माननीय राजस्व मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय सहित एकाधिक सदस्यों ने अपनी बातें रखी थीं। चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने आसंदी के सम्बन्ध में नियम, प्रक्रियाओं के विपरीत असम्मानजक टिप्पणी की थी जिसे मैंने तत्समय कार्यवाही से विलोपित कर दिया था।

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल द्वारा नियम 145 (1) के तहत दी गई सूचना पर व्यवस्था की मांग करते रहे और मैंने यह व्यवस्था दी थी कि संकल्प की सूचना प्रातः 9.45 बजे सचिवालय में प्राप्त हुई है और संकल्प **संवैधानिक प्रावधानों एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में** अग्रिम कार्यवाही के लिए परीक्षणाधीन है।

मेरी इस व्यवस्था के पश्चात माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने पुनः यह दोहराया कि **'माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक आप इसमें स्पष्ट रूप से व्यवस्था नहीं देंगे, तब तक हमें आप पर विश्वास नहीं है।'** उनकी इस आपत्ति पर माननीय कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश

मूणत द्वारा आपत्ति करते हुए यह कहा कि ऐसा कहना आसंदी का अपमान है। इस पर माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने पुनः दोहराया कि **'हमको अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है।'**

मैं निश्चित तौर पर यह मानता हूँ कि सभा का कोई सदस्य यदि संवैधानिक प्रावधानों, नियम, प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं के विपरीत आसंदी पर अपमानजनक टिप्पणी करता है तो वह केवल आसंदी नहीं अपितु पूरे सदन का अपमान करता है। क्योंकि अध्यक्ष पूरे सदन का होता है और अध्यक्ष एवं सदन को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान की रक्षा का प्रश्न नहीं है अपितु ऐसी संस्था के अध्यक्ष के पद की गरिमा का प्रश्न है, जो प्रजातन्त्र की मूल आत्मा पर आधारित एक संवैधानिक इकाई है।

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल, सदन के वरिष्ठ सदस्य एवं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रमुख पदाधिकारी हैं। उनके द्वारा आसंदी के सम्बन्ध में जो आक्षेपजनक टिप्पणी की गई, वह अनजाने में हुई त्रुटि की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती क्योंकि आसंदी के द्वारा ऐसी टिप्पणी को एक बार विलोपित किए जाने के पश्चात यह जानते हुए भी कि उनके द्वारा दी गई संकल्प की सूचना अभी सभा की विषय-वस्तु नहीं है, उन्होंने पुनः जोर देकर उसी टिप्पणी को दुहराया।

सदन की मर्यादा बनाए रखना इस सदन के प्रत्येक सदस्य का दायित्व है और प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान एवं सदन का सम्मान करें तथा नियमानुकूल आचरण करें। नियमों का एवं परम्पराओं का उल्लंघन करते हुए आसंदी एवं सदन की अवमानना और वह भी इस सदन के वरिष्ठ एवं विपक्षी दल के महत्वपूर्ण पदाधिकारी द्वारा की जाती है तो स्थिति और अधिक गम्भीर परिलक्षित होती है।

पूर्व परम्पराओं एवं संसद तथा अन्य विधान मण्डलों में आसंदी पर आक्षेपजनक टिप्पणियों के मामलें में हुई व्यवस्थाओं के अध्ययन उपरान्त मेरा यह निश्चित मत है कि माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई आक्षेपजनक टिप्पणी से आसंदी एवं सभा की घोर अवमानना हुई है, जिसके वे दोषी हैं।

मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल से यह अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में सभा में वे अपना आचरण सभा की मर्यादा के अनुरूप रखें। विचाराधीन विषय पर खेद व्यक्त करने अथवा उनके द्वारा कहे गये असंसदीय एवं अमर्यादित वाक्यों को वापस लेने का प्रश्न मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं और उनसे इस पर गंभीरता से विचार एवं मनन करने की अपेक्षा करता हूं।

इन शब्दों को उनके द्वारा वापस नहीं लिये जाने एवं खेद व्यक्त नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा कहे गये वाक्यांश सभा की कार्यवाही का हिस्सा बने रहेंगे ताकि आने समय में यह सदन एवं इस प्रदेश की जनता उनके अमर्यादित असंसदीय आचरण से भिज्ञ हो सके। किसी जनप्रतिनिधि के लिये इससे अधिक और कोई दण्ड नहीं हो सकता।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा खेद व्यक्त न किये जाने एवं अन्य चर्चा किए जाने पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आसंदी की व्यवस्था के बाद चाहें तो माननीय सदस्य खेद व्यक्त कर सकते हैं, व्यवस्था पर भाषण नहीं दे सकते।

माननीय अध्यक्ष ने व्यक्त किया कि अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद उस पर बहस नहीं होती है और न ही किसी प्रकार की टिप्पणी होती है। श्री भूपेश बघेल जी को ऐसा लगता है कि वे अध्यक्ष की व्यवस्था से सहमत हैं तो वे खेद प्रकट कर सकते हैं अन्यथा व्यवस्था दे दी गई है कि वह सदन की प्रापर्टी हो जाएगी और यह हमेशा रिकार्ड में रहेगा।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कथन किया कि आसंदी का निर्देश शिरोधार्य है किंतु वे ना तो खेद व्यक्त करेंगे और ना ही शब्दों को वापस लेंगे।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नियम 250 (क) का बार-बार उल्लघंन किये जाने पर व्यवस्था दी कि -

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

सदन को स्मरण होगा कि मैंने छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (क) का उल्लंघन करते हुए जान-बूझकर सभा के गर्भगृह में प्रतिपक्ष के सदस्यों के आचरण पर यह टिप्पणी की थी कि जान-बूझकर नियमों का उल्लंघन करना उचित नहीं है । माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया था ।

सदन की गरिमा एवं अनुशासन बनाने में सभी सदस्यों का सहयोग अपेक्षित होता है । सभा में विरोध प्रकट करने अथवा किसी विषय पर असहमति के संसदीय तरीके उपलब्ध हैं ।

छत्तीसगढ़ की सभा ने अपनी स्थापना की तिथि से ही जो अनेक कीर्तिमान स्थापित किये हैं, उनमें विरोध स्वरूप सभा के गर्भगृह में आने पर स्वमेव निलंबन का नियम नियमावली में सम्मिलित करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा रहती है कि सदन की गरिमा एवं अनुशासन बनाने में वे अपने स्वयं के द्वारा बनाये गये नियमों का पालन दृढ़ता के साथ करें । यदा-कदा किसी नियम का उल्लंघन तो मान्य किया जा सकता है किंतु निरंतर जान-बूझकर सउद्देश्य नियम तोड़ने की ईजाजत किसी को नहीं दी जा सकती । सभा में विगत् दो दिनों में रोज ऐसा हो रहा है, परम्परायें टूट रही हैं । सभा के गर्भगृह में आकर अशोभनीय आचरण किया जा रहा है ।

इस सदन की गरिमा एवं प्रतिष्ठा से आप सभी सदस्य भलिभांति अवगत हैं । यदि हम स्वयं इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो सभा के बाहर इस प्रदेश की ढ़ाई करोड़ जनता के बीच क्या संदेश जायेगा ? यह विचारणीय प्रश्न है ।

मैं इस अवसर पर केवल यही कहना चाहूंगा कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने का प्रयास करते हुये सभा में विरोध के मान्य तरीकों का ही प्रयोग माननीय सदस्य करें और इस सदन की प्रतिष्ठा एव गरिमा को संरक्षित रखते हुए जनता के बीच इसकी मर्यादा को बनाये रखें ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने राशन कार्ड निरस्ती पर प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि प्रतिपक्ष इस संबध में नियम 139 की सूचना दे जिस पर चर्चा कराई जा सकती है।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई)

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का पांचवा, छठवां एवं सातवां वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 2005-2006, 2006-2007 एवं 2007-2008,

(2) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड का पांचवा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013,

(3) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012) एवं 2012-13 (1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013), तथा

(4) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार बिलासपुर विश्वविद्यालय का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 **पटल पर रखे।**

(सदन की कार्यवाही 12.47 बजे स्थगित की जाकर 1.12 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री भूपेश बघेल द्वारा पुनः राशन कार्ड निरस्ती पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि शासन चर्चा के लिये तैयार है। माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इस विषय पर कल स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा कराई जायेगी।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य ने जिला महासमुंद में वन अधिकार पट्टा वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने प्रदेश की सहकारी समितियों में व्याप्त अनियमितता की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक (5) का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए स्थगित किए जाने की घोषणा की।)

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री मोहन मरकाम
2. श्री श्रवण मरकाम
3. श्री केशव चंद्रा
4. श्री दलेश्वर साहू
5. श्री अरूण वोरा

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. श्री जय सिंह अग्रवाल (अनुपस्थित-याचिका प्रस्तुत नहीं हुई)
2. श्री भैयाराम सिन्हा (अनुपस्थित-याचिका प्रस्तुत नहीं हुई)

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सूचित किया कि उन्होंने -

(1) भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014)

(2) छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014), तथा

(3) अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014)

को वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयक की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23(2) एवं 24 तथा विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) को, सदन की अनुमति की प्रत्याशा में, शिथिल कर आज पुरःस्थापन, विचार तथा पारण की अनुमति प्रदान की है।

(1) भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014) पुरःस्थापित किया।

(3) अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014) पुरःस्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उनके द्वारा -

(1) भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014)

(2) छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014), तथा

(3) अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014)

पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 30-30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(1.49 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

11. वर्ष 2014-2015 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 56, 64, 66, 67, 68, 71, 75, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त

राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार एक सौ छप्पन करोड़, पचहत्तर लाख, सैंतालीस हजार, छः सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

(प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।)

श्री रामदयाल उइके, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री शिवरतन शर्मा, कवासी लखमा, श्रीचंद सुंदरानी, अमरजीत भगत, लाभचंद बाफना, बृहस्पत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रोशन लाल, मोहन मरकाम, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, केशव चंद्रा, डॉ.विमल चोपड़ा,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक (7) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री देवजी भाई पटेल, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

डा.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2014 (क्रमांक-16 सन् 2014)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2014 (क्रमांक-16 सन् 2014) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2014 (क्रमांक-16 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 6.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनाँक 24 जुलाई, 2014 (श्रावण, 2 शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा